राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक–प– 21(1)( )निमअ/अमदि/2014–15/5204–69 जयपुर, दिनांक–21/2/18

1. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें,समस्त
2. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता समस्त

विषयः– अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण संबंधी गतिविधियों के आयोजन के संबंध में।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन वृहद एवं व्यापक स्तर पर किया जाना है। इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस **के अवसर पर महिला सशक्तिकरण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएगी जिसका** तिथिवार विवरण निम्नानुसार है–

1. दिनांक 05.03.2018 को आई. सी. डी. एस. के द्वारा "**प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना**" पर कार्यशाला आयोजित की जावेगी जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक एवं अन्य सम्बन्धित विभाग जैसे महिला अधिकारिता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास विभाग इत्यादि भाग लेंगे। इसका व्यय आईसीडीएस द्वारा वहन किया जावेगा ।
2. दिनांक 06.03.2018 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र एवं वन स्टाप सेंटर के काउंसलर, जिला महिला सहायता समिति के सदस्य को समस्त जिलों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
3. दिनांक 07.03.2018 को किशोरियों एवं महिलाओं को माहवारी के प्रबंधन तथा स्वच्छता हेतु जागरूकता तथा मासिक धर्म के अधिकारों के लिए वातावरण निर्माण के लिए ग्राम पंचायत पर जाजम का आयोजन किया जावेगा। इस जाजम में संबंधित उप स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक एवं ए.एन.एम. को आमंत्रित कर माहवारी के प्रबंधन तथा स्वच्छता संबंधी विषयों पर चर्चा की जावेगी। इसके अतिरिक्त जाजम में उपस्थित होने वाली महिलाओं एवं किशोरियों की स्वास्थ्य जॉच संबंधित उप स्वास्थ्य केन्द्र पर की जाएगी तथा आई. एफ. ए. सप्लीमेंट का वितरण किया जाएगा।
4. दिनांक 08.03.2018 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जायेगीः–

⇒ विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं उद्‌बोधन

⇒ सांस्कृतिक कार्यक्रम–शिक्षा विभाग के सहयोग से (Theme based- महिला सशक्तिकरण संबंधी)

⇒ उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कार–सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार, यशोदा पुरस्कार, नंदघर

⇒ शपथ–ग्रहण –जिले को महिला हिंसा से मुक्त कराने के लिए

Scanned by CamScanner

⇒ महिला सशक्तिकरण की योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रचार–प्रसार सामग्री का प्रदर्शन

⇒ जिले में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान

उपरोक्त कार्यक्रम का वरीयता क्रम जिला कलेक्टर के निर्देशन में निर्धारित किया जा सकता है। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकते है। जिला स्तर के कार्यक्रम में 400–500 महिलाओं की भागीदारी होगी जिसमें जिलें के समस्त महिला जन–प्रतिनिधि विशेषरूप से आमंत्रित किए जायेंगे।

उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु रूपये 1,00,000/– का बजट निम्नानुसार आवंटित किया जाएगा–

1. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, जोधपुर, झुंझूनु, श्रीगंगानगर, जयपुर)
2. चिराली (बांसवाडा, भीलवाडा, झालावाड, जालोर, नागौर, प्रतापगढ तथा बूंदी)
3. किशोरी शक्ति योजना (अजमेर, बांरा, चित्तौडगढ, चुरू, कोटा, पाली, राजसमंद, सिरोही)
4. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मद से (बाडमेर, बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर)

इसके अतिरिक्त रूपये 50,000/– आई. सी. डी. एस. द्वारा प्रत्येक जिले को आंवटित किए जाएंगे। कार्यक्रम में वर्णित उपरोक्त गतिविधियों के अनुसार आवंटित राशि का निर्धारित बजट सीमा में स्थानीय आवश्यकतानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–प– 21(1)( )निमअ/अमदि/2014–15/15270–95
जयपुर, दिनांक–21/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर
5. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता,जयपुर।
6. निदेशालय के समस्त प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी...
7. रक्षित पत्रावली

(रेणु खण्डेलवाल)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

Scanned by CamScanner